

**बिहार सरकार**  
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

पत्रांक- पि०व०/ज०क०ठा०छा०/नि०प्र०सं०-38-02/2020(खण्ड-1)- 30. 3130,

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बिहार।  
औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, जमुई, पू० चम्पारण, बाँका, भागलपुर, मधेपुरा, मधुबनी,  
शेखपुरा, सहरसा, सारण, वैशाली, शिवहर एवं सीवान को छोड़कर।

पटना, दिनांक- 20/03/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 60,63,659/- (रु० साठ लाख तिरसठ हजार छः सौ उनसठ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संधारणार्थ कुल राशि रु० 60,63,659/- (रु० साठ लाख तिरसठ हजार छः सौ उनसठ) मात्र संलग्न सूची के अनुसार आवंटित की जाती है।

2-कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0002-छात्रावासों का संधारण, विषय शीर्ष, 13.04-विद्युत प्रभार एवं 28.02-संविदा सेवाएँ विपत्र कोड सं०-11-2225-03-277-0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। निकासी की गई राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि व्यय होने के पश्चात् विभाग को भेजेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्रि पदाधिकारी होंगे।

4- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक व्यय दिनांक-31.03.2026 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं रहने पर शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया जाय। जिस मद में राशि आवंटित की जा रही है, उसी मद में राशि का व्यय किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं बैंक में संचित नही किया जायेगा।

5- प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7-इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दिया जा रहा है।

**अनु०:-यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)

**सरकार के अपर सचिव।**

ज्ञापांक- पि०व०/ज०क०ठा०छा०/नि०प्र०सं०-38-02/2020(खण्ड-1)-30 पटना, दिनांक- 20/03/2026  
प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/उप सचिव, (बजट प्रभारी)/अवर सचिव (बजट प्रशाखा)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आईटी0मैनेजर, (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**सरकार के अपर सचिव।**

बिहार सरकार  
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के संचालन हेतु विभिन्न जिलों को आवंटित राशि की विवरणी :-


विपत्र कोड-11.2225.03.277.0002	वित्तीय वर्ष 2025-26			(राशि ₹0 में)
जिला	13.04-विद्युत प्रभार	28.02-संविदा सेवाएं	कुल योग	
1	अररिया		100000.00	100000.00
2	अरवल		100000.00	100000.00
3	कैमूर	30000.00		30000.00
4	गया	930000.00		930000.00
5	गोपालगंज	430000.00		430000.00
6	जहानाबाद	500000.00	100000.00	600000.00
7	नालंदा	30000.00	100000.00	130000.00
8	पुर्णियाँ		75000.00	75000.00
9	पश्चिम चंपारण		100000.00	100000.00
10	बक्सर	55000.00		55000.00
11	बेगूसराय	82472.00	100000.00	182472.00
12	मुंगेर	130000.00	25000.00	155000.00
13	सुपौल		100000.00	100000.00
14	सीतामढ़ी	380000.00		380000.00
15	रोहतास	1430000.00	100000.00	1530000.00
16	मुजफ्फरपुर	30000.00		30000.00
17	भोजपुर	30000.00	100000.00	130000.00
18	पटना	430000.00	100000.00	530000.00
19	नवादा	80000.00		80000.00
20	समस्तीपुर	5000.00	1660.00	6660.00
21	लखीसराय		75000.00	75000.00
22	दरभंगा	159527.00	100000.00	259527.00
23	खगड़ियाँ	55000.00		55000.00
	कुल योग-	4786999.00	1276660.00	6063659.00

कुल राशि (₹0 साठ लाख तिरसठ हजार छः सौ उनसठ) मात्र।

पत्रांक- 30

दिनांक- 20/03/2026

का अनुलग्नक

  
सरकार के अपर सचिव।